आचरण नियमावली

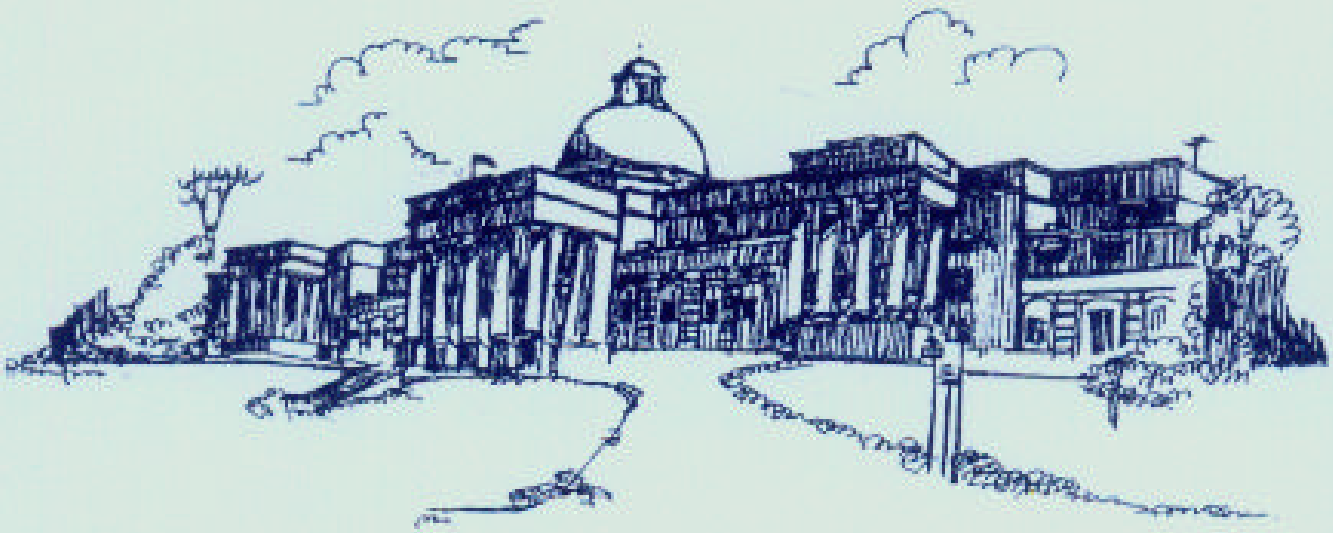

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

रुड़की – 247 667 (उत्तरांचल)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

(देखें 13(17))

आचरण नियमावली

1. लागू होना

इस अनुसूची में दिए गए उपबंध संस्थान के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

यदि इस अनुसूची में संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हों तो

(क) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है :

(i) निदेशक के मामले में "अभिशासक बोर्ड"।

(ii) अन्य सभी कर्मचारियों के मामले में "निदेशक"

(ख) कर्मचारी से संबंधिंत "सदस्य के परिवार" में निम्नलिखित शामिल है :

(i) कर्मचारी की पत्नी, बच्चे या सौतेले बच्चे जो उसके साथ रहते हों और उस पर आश्रित हों और महिला कर्मचारी के संबंध में उसका पति जो उसके साथ रहता हो और उस पर आश्रित हों, और

(ii) कोई अन्य व्यक्ति जिसका कर्मचारी के साथ खून से या विवाह द्वारा रिश्ता हो या ऐसे कर्मचारी की पत्नी या पति जो संस्थान के कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों किंतु इसमें वह पत्नी या पति शामिल नहीं है जो विधिक रूप में कर्मचारी से अलग हो या ऐसे बच्चे या सौतेले बच्चे जो अब किसी भी प्रकार से उस पर आश्रित न हों या जिनकी अभिरक्षा से कर्मचारी को कानून द्वारा वंचित किया गया हो।

(ग) "सेवा" से आशय संस्थान के अधीन सेवा से है।

3. सामान्य

(क) प्रत्येक कर्मचारी सदैव कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा तथा अपने सरकारी कार्य में पूर्णतया ईमानदार और निष्पक्ष भी रहेगा।

(ख) कर्मचारी को स्टाफ के अन्य सदस्यों, विद्यार्थियों और जनता के साथ अपने कार्य में सदैव शिष्ट होना चाहिए।

(ग) जब तक कि नियुक्ति की शर्तों में विशेष रूप से अन्यथा न उल्लेख हो तब तक प्रत्येक कर्मचारी संस्थान का पूर्ण–कालिक कर्मचारी है और उसे निर्धारित कार्य घण्टों के अलावा पूर्ण अवकाशों और रविवारों को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए बुलाया जा सकता है। अन्य कार्यों के साथ–साथ उसकी संस्थान द्वारा निर्धारित समिति की बैठकों में उपस्थिति भी शामिल है।

(घ) प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित कार्य घण्टे पूरे करने पड़ेंगे और उस दौरान उसे अपने कार्य स्थल पर अवश्य उपस्थित रहना होगा।

(ड.) वैध कारणों या अप्रत्याशित आकस्मिकता के अतिरित कोई भी कर्मचारी पूर्ण अनुमति के बगैर ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

(च) कोई भी कर्मचारी छुट्टी या अवकाश के दौरान भी उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर स्टेशन छोड़ कर नही जाएगा।

(छ) कर्मचारी को स्टेशन छोड़ते समय अपने सम्बद्ध विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा या स्वयं विभागाध्यक्ष होने पर निदेशक को कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अवधि के दौरान अपने रहने का पता देना होगा।

4. राजनीति और चुनाव में भाग लेना

(i) कोई भी कर्मचारी राजनीति में भाग नहीं लेगा या ऐसी किसी पार्टी या संगठन से सम्बद्ध नहीं होगा जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हों और न ही किसी राजनीतिक आन्दोलन या गतिविधि में किसी भी प्रकार का अंशदान या सहायता देगा।

(ii) कोई भी कर्मचारी विधायी निकाय या स्थानीय प्राधिकरण के किसी चुनाव में प्रचार नहीं करेगा या अपने प्रभाव का प्रयोग या हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

परन्तु संस्थान का कर्मचारी ऐसे चुनाव में वोट देने का हकदार होने पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है किंतु ऐसा करने पर उसे इस बात का कोई भी संकेत नहीं देना होगा कि उसे वोट किस तरीके से देना है या उसने किसको वोट दिया है।

5. प्रेस या रेडियो या पैटेंटो से सम्बन्ध

(1) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर किसी भी समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों का पूर्णतया या आंशिक रूप से मालिक नही होगा या उनके सम्पादन या प्रबंध में भाग नही लेगा या उसका संचालन नहीं करेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी या इसके लिए शक्ति प्राप्त किसी अन्य प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बगैर या अपने वास्तविक कार्य पालन के अतिरिक्त किसी रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा या गुमनाम या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार–पत्र या पत्रिका के लिए कोई लेख या पत्र नहीं लिखेगा।

परन्तु ऐसा प्रसारण या ऐसा लेख विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक स्वरूप का होने पर ऐसी स्वीकृति लेने की

आवश्यकता नही होगी।

टिप्पणी : नीचे दिए गए प्रतिबंधों के अधीन, स्टाफ के सदस्यों को उपयुक्त पैरा (2) में अपेक्षित स्वीकृति के बगैर, अपने मूल वैज्ञानिक कार्यों और भारत और विदेश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता है। परंतु यदि वे अपने छपने वाले लेख में अपना अधिकारिक पदनाम चाहते हों तो इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगी।

ऐसे लेख विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक विषयों पर होने चाहिए और उनमें प्रशासनिक मामलों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। उनमें कोई राजनीतिक विषय भी शामिल नहीं होंगे।

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर भारतीय सीमा क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में आदिवासी संख्या पर लेख प्रकाशित करना वर्जित है।

6. संस्थान की आलोचना

कोई भी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से छपे दस्तावेज में या प्रेस को दी गई सूचना या किसी सार्वजनिक अभिव्यक्ति में कोई तथ्य या राय नही देगा जिससे

(i) संस्थान की वर्तमान या हाल की नीति या कार्रवाई की कोई प्रतिकूल आलोचना होती हो, या

(ii) संस्थान और केन्द्र सरकार का किसी राज्य सरकार या किसी संस्थान या संगठन या जनसाधारण के आपसी संबंध खराब होते हों।

परंतु इस पैराग्राफ की कोई बात कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत या उसे सौंपे गए कार्यों का विधिवत् अनुपालन करते हुए वक्तव्य या अभिव्यक्त किए गए विचारों पर लागू नहीं होगी।

7. समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना

(1) नीचे उप पैरा (3) में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व–अनुमति के बगैर

किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा चलाई जा रही किसी जांच के सिलसिले में काई साक्ष्य नहीं देगा।

(2) यदि उप पैरा (1) के अंतर्गत मंजूरी दी गई हो तो कोई भी कर्मचारी ऐसा साक्ष्य नहीं देगा जिससे संस्थान या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना होती हो।

(3) इस पैरा की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी –

(क) संस्थान, संसद या विधान सभा द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सम्मुख किसी जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ग) संस्थान प्राधिकारियों के आदेशानुसार किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य।

8. अप्राधिकृत तौर पर सूचना देना :

सक्षम प्राधिकारी के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार अथवा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का सदाशय से पालन करने के अलावा कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी नहीं देगा जिसे उस व्यक्ति को इस प्रकार का दस्तावेज या जानकारी देने का प्राधिकार न हो।

9. उपहार

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बगैर कोई भी कर्मचारी रिश्तेदारों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से मामूली मूल्य से अधिक मूल्य के उपहार स्वीकार नही करेगा और न ही वह अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा। मामूली शब्दों का अर्थ वह होगा जो कि सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में निर्धारित किया गया हो।

10. निजी व्यापार रोजगार

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर कोई भी कर्मचारी अपने पदीय कार्यों से बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार या निजी ट्यूशन नहीं करेगा या नौकरी नहीं करेगा। परंतु इसके साथ यह व्यवस्था भी है कि उपरोक्त प्रतिबंध सक्षम प्राधिकारी की पूर्व–अनुमति से किए गए शैक्षिक कार्य और परामर्शी प्रैक्टिस पर लागू नहीं होंगे और यह अनुमति बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक की स्वीकृति के संबंध में शर्तों के अधीन दी जा सकेगी।

11. निवेश उधार देना और उधार लेना

(1) कोई भी कर्मचारी किसी व्यापार में सट्टेबाजी नहीं करेगा और न ही वह स्वयं कोई ऐसा धन निवेश करेगा या अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा जिससे उसके पदीय कर्तव्यों में परेशान या प्रभावित होने की संभावना है।

(2) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति को ब्याज पर पैसा उधार नहीं देगा और न ही किसी ऐसे व्यक्ति से वह पैसा उधार लेगा जिसके साथ उसका पदीय काम–काज होने की संभावना हो।

2. दिवालियापन, आदतन ऋणग्रस्तता और अपराधिक कार्यवाहियाँ

(1) कर्मचारी अपने निजी काम–काज इस प्रकार चलाएगा कि वह आदतन ऋणग्रस्त या दिवालिया न हो जाए। जब यह पाया जाए कि कोई कर्मचारी ऋण के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, या दिवालिएपन का सहारा ले रहा है या उसके वेतन के अधिकांश भाग की लगातार कुर्की की जा रही है तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। जिस कर्मचारी पर दिवालिएपन के कारण विधिक कार्यवाहियाँ की जा रही हों वह पूरे तथ्यों की सूचना तुरंत संस्थान को देगा।

(2) जो कर्मचारी किसी आपराधिक कार्यवाहियों में उलझ जाए वह अपने सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करेगा चाहे उसे जमानत पर छोड़ा गया हो या न छोड़ा गया हो।

जो कर्मचारी किसी आपराधिक आरोप या किसी अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया हो वह तब तक संस्थान में अपना कार्य–ग्रहण नही करेगा जब तक वह उसके लिए संस्थान के अध्यक्ष से लिखित अनुमति प्राप्त न कर ले।

13. चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति

स्टाफ का प्रत्येक सदस्य संस्थान की सेवा में प्रथम नियुक्ति पर और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथानिर्धारित अंतरालों पर इस संबंध में संस्थान द्वारा यथानिर्धारित फार्म में अपनी समूची अचल सम्पत्ति की विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसने अर्जित की हो या विरासत में पाई हो या जो उसके द्वारा पट्टे या बंधक पर धारित हो चाहे वह उसके अपने नाम हो या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम हो या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो।

14. कर्मचारियों के कृत्यों और चरित्र का दोष निवारण

कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व–स्वीकृति के बगैर अपने किसी पदीय कार्य में दोष निवारण के लिए किसी न्यायालय या प्रेस की शरण नहीं लेगा जो प्रतिकूल आलोचना का विषय बना हुआ हो या जो मानहानिकारक किस्म का आघात हो।

परंतु इस नियम में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी के लिए अपनी निजी हैसियत में किए गए अपने किसी कृत्य या अपने निजी चरित्र के दोष का निवारण के लिए मनाही है।

15. विवाह आदि

जिस कर्मचारी का किसी विदेश की नागरिकता रखने वाले

व्यक्ति/महिला से विवाह करने का इरादा हो वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व–अनुमति मांगेगा।

जिस कर्मचारी की पत्नी जीवित हो वह बोर्ड की अनुमति लिए बगैर दूसरा विवाह नही करेगा बावजूद इस बात के कि तत्समय उस पर लागू उसके स्वीय एवं धार्मिक कानून के अधीन दूसरा विवाह करने की अनुमति हो और इन नियमों का उल्लंघन करने पर वह संस्थान की सेवा से तुरंत बर्खास्त किया जाएगा।

16. प्रतिवेदन

क) जब कभी कोई कर्मचारी कोई दावा प्रस्तुत करना चाहता हो या किसी शिकायत या उसके विरूद्ध किए गए किसी दोषपूर्ण कार्य के बारे में निदान चाहता हो तो उसे अपना मामला अनिवार्यतः उचित माध्यम से भेजना चाहिए और जब तक निचले प्राधिकारी ने दावा स्वीकार्य न कर दिया हो या राहत देने से इंकार न कर दिया हो या मामले का निपटान तीन मास से अधिक समय तक विलम्बित हो गया हो, तब तक वह अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रतियां – किसी उच्चतर प्राधिकारी को नही भेजेगा।

ख) कोई कर्मचारी किसी शिकायत निवारण अथवा किसी अन्य मामले के संयुक्त प्रत्यावेदन पर जो प्राधिकारियों को संबोधित किया गया हो, हस्ताक्षर नही करेगा।

17. दण्ड, अपील, आदि

हर कर्मचारी, उसके द्वारा इनमें से किसी भी नियम के भंग करने पर दण्डित किये जाने हेतु तथा उसके प्रति की गई दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध की गई अपील के विषय में संगत नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

18. व्याख्या

इन प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में उठाए गए सभी प्रश्नों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।